भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3226
जिसका उत्तर मंगलवार 06 दिसम्बर, 2016 को दिया जाना है

भारतीय सीमेंट निगम के सी एम डी

3226. श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारतीय सीमेंट निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप-पत्र दाखिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चार्जशीट किया गया अध्यक्ष केन्द्र सरकार नियमावली के अन्तर्गत स्वतंत्र क्षमता के संगठन में सेवाएं प्रदान कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान अध्यक्ष को अभी तक पद से नहीं हटाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान अध्यक्ष ने एक साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और सरकार ने उनकी नियुक्ति को स्थायी रूप में नियमित आधार पर स्थायी कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कोई आरोप-पत्र दिए जाने के संबंध में सूचना शून्य है।

(ग) से (ङ): सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने 21.01.2015 को कार्यभार ग्रहण किया है। इस विभाग ने उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए स्थायी करने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। पीईएसबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक को तब तक स्थायी समझा जाएगा जब तक कि एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् 30 दिन के भीतर इसके लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा पीईएसबी को प्रस्ताव न भेजा जाए। वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अपना एक वर्ष का कार्यकाल 20.01.2016 को पूरा कर लिया है।

******